तारीख नम्बर जो इस तामील

न्यायालय उपखंड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती निशा सहारण

मुकदमा नम्बर 16/2022 उनवान बिदाम बनाम हरिराम

बिदाम पत्नी श्री विष्णु जाति जाट उम्र 62 साल निवासी ग्राम कटसूरा तहसील अरांई जिला अजमेर राज.

–प्रार्थीया

बनाम

हरिराम पुत्र सूजा आयु लगभग 71 साल व अन्य निवासी ग्राम कटसूरा तहसील अरांई जिला अजमेर राज. व अन्य।

– अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. 1955

निर्णय दिनांक 07.06.2024

उपस्थितः– वकील उभयपक्ष दौराने बहस

1. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. 1955 के तहत वकील प्रार्थी श्री करतार सिंह चौधरी के द्वारा पेश किया गया जिसे दिनांक 22.02.2022 को जांच रिपोर्ट के बाद दर्ज रजिस्टर क्रमांक 16/2022 पर दर्ज किया गया। संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री करतार सिंह ने जाहिर किया कि ग्राम कटसूरा तहसील अराई की कृषि आराजी खसरा संख्या 2565/7 रकबा 1.6423 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थीया का 1/4 हिस्सा है तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 03 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है लेकिन उक्त भूमि का विधिक विभाजन नहीं हुआ है, इस कारण अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थीया के कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न करता है तथा बेचान करने की धमकी देता रहता है, श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में अप्रार्थी संख्या 01 मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीया के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें, बिना विभाजन के उक्त भूमि का बेचान नहीं करें तथा अप्रार्थी संख्या 04 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि [illegible] रिकार्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र को दिनांक 22.02.2022 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा दिनांक 25.02.2022 को प्रकरण में एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। दिनांक 25.11.2022 को वकील श्री जयप्रकाश शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 का पेश किया। दिनांक 13.04.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.07.25 12:29:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

को वकील श्री जयप्रकाश शर्मा की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 पर बहस सुनी गई तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा महावीर प्रसाद एवं रघुवीर प्रसाद को अप्रार्थी संख्या 04, 05 के रूप में संयोजित किया गया एवं संशोधित शीर्षक रिकार्ड पर लिया गया। दिनांक 29.09.2023 का जवाब बन्द किया गया तथा पत्रावली बहस में रखी गई। दिनांक 24.05.2024 को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र तथा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया।

3. हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी से ताईद है कि अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03 विवादित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार है, राज.का. अधि. 1955 के अनुसार रिकार्डेड खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा होता है खातेदार को अपने हिस्से की भूमि का बेचान या उपयोग उपभोग करने से रोका नहीं जा सकता है, अप्रार्थी संख्या 04, 05 वादअधीन भूमि में से कथित हिस्से के क्रेता है, जिन्होनें भूमि को प्रतिफल देकर खरीदा है वे भूमि के सदाशयी क्रेता है, उन्हें नामान्तरणकरण खुलवाने से नहीं रोका जा सकता। साथ ही मूल वाद क्रमांक 15/2022 में भी प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है अब इस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. 1955 को चलाने का कोई न्यायिक औचित्य नहीं है अतः आदेश दिनांक 25.02.2022 को अपास्त किया जाता है तथा मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. 1955 को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अराई

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.07.25 12:29:10 IST
Reason: SelfAttested